न्यायालय अपर समाहर्त्ता, पटना

दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद संख्या–88/2014–15

राज किशोर सिंह बनाम विजय सिंह यादव वगैरह

(Under Section 8 of the Bihar Land Mutation Act, 2011)

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
22/11/18	**आदेश** यह पुनरीक्षण वाद दाखिल खारिज अपील वाद सं0–10/2014–15 एवं 11/2014–15 में भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक–18.02.2015 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। इस वाद के पक्षकार निम्न प्रकार है प्रथम पक्ष राज किशोर सिंह, पिता स्व0 ठाकुर राय, मो0 हाथीखाना, थाना–दानापुर, जिला–पटना द्वितीय पक्ष 1. विजय सिंह यादव, पिता स्व0 ठाकुर राय, मो0 हाथीखाना, थाना –दानापुर, जिला–पटना, वर्तमान पता मो0 करबिगहिया, थाना–जक्कनपुर, जिला–पटना 2. दयानंद सिंह, पिता स्व0 ठाकुर राय, मो0 हाथीखाना, थाना –दानापुर, जिला–पटना 3. राज्य सरकार **प्रथम पक्ष का कहना है कि** (1) पुनरीक्षणकर्ता तथा विपक्षी सं0 1 एवं 2 स्व ठाकुर राय के पुत्र हैं। तीनों भाईयों ने संयुक्त रूप से मौजा मैनपुरा, थाना नं0 24, तौजी नं0 5234 खाता नं0 206, खेसरा नं0 291 रकवा 4 कठ्ठा की खरीद दिनांक–04.12.2004 के निबंधित केवाला से प्रदीप कुमार केशरी वो संजीव कुमार केशरी, पे0–रामचन्द्र प्रसाद केशरी से की थी। पुनः उसी खाता, खेसरा के 4 कठ्ठा की खरीद तीनों भाईयों द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक–13.08.2008 के निबंधित केवाला से संजीव कुमार केशरी, पिता स्व0 रामचन्द्र प्रसाद केशरी वो मधु केशरी पति स्व0 प्रदीप कुमार केशरी से की गयी। (2) दोनों केवालों से खरीदी गयी कुल 8 कठ्ठा भूखण्ड पर तीनों भाई संयुक्त रूप से दखल में आये, परन्तु आपसी विवाद के कारण क्रेतागण के नाम से दाखिल खारिज नहीं हो सका। (3) वर्ष 2010 में पंचायती बंटवारा हुआ तथा उक्त 8 कठ्ठा भूखण्ड में से प्रत्येक भाई को 2 कठ्ठा 12 धूर 27 धुरकी हिस्सा मिला। तदनुसार सभी ने अपने हिस्से की जमीन की घेराबंदी करवा ली। (4) पुनरीक्षणकर्ता ने दोनों वसीका से अपने हिस्से में प्राप्त 1 कठ्ठा 6 धुर $13\frac{1}{4}$ धुरकी एवं 1 कठ्ठा 6 धुर $13\frac{1}{4}$ धुरकी के दाखिल खारिज हेतु	

अलग–अलग आवेदन दिया। दाखिल खारिज वाद सं0 $\frac{866}{5}$ वर्ष 2011–12 एवं $\frac{867}{5}$ वर्ष 2011–12 के अन्तर्गत अंचलाधिकारी, दानापुर के द्वारा राजस्व कर्मचारी से प्रतिवेदन की मांग की गयी। दखल–कब्जा के प्रतिवेदन के आधार पर अंचलाधिकारी, दानापुर के द्वारा दाखिल खारिज की स्वीकृति दी गयी, तदनुसार पुनरीक्षणकर्ता के नाम से लगान रसीद एवं भू–स्वामित्व प्रमाण–पत्र निर्गत किया गया।

(5) पुनरीक्षणकर्ता के द्वारा विवादित भूखण्ड पर नक्शा पास करवा कर दो मंजिला मकान का निर्माण कराया गया है। दानापुर नगर परिषद में होल्डिंग भी कायम है तथा विद्युत कनेक्शन भी लिया गया है। भवन का एक भाग दिनांक–18.12.2014 से बैंक ऑफ इंडिया को किराया पर भी दे रखा है।

(6) अंचलाधिकारी, दानापुर के द्वारा दाखिल खारिज वाद सं0 $\frac{866}{5}$ वर्ष 2011–12 एवं $\frac{867}{5}$ वर्ष 2011–12 में पारित आदेश के विरूद्ध विपक्षी सं0 1 विजय सिंह यादव के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के न्यायालय में दाखिल खारिज अपील वाद सं0 10/2014–15 एवं 11/2014–15 दायर किया गया। भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के द्वारा तथ्यों की अनदेखी करते हुए उक्त दोनों अपील वाद में दिनांक–18.02.2015 को संयुक्त रूप से आदेश पारित करते हुए दाखिल खारिज वाद सं0 $\frac{866}{5}$ वर्ष 2011–12 एवं $\frac{867}{5}$ वर्ष 2011–12 में अंचलाधिकारी, दानापुर के द्वारा पारित आदेश को निरस्त कर दिया गया। भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर का दिनांक–18.02.2015 का आदेश अनुचित एवं अवैध है, जो रद्द करने योग्य है।

पुनरीक्षणकर्ता के द्वारा निम्न कागजात की छाया–प्रति दाखिल की गयी है।

(1) दिनांक–04.12.2004 की डीड

(2) दिनांक–13.08.2008 की डीड

(3) दिनांक–09.01.2012 का पंचनामा

(4) दाखिल खारिज वाद सं0 $\frac{866}{5}$ वर्ष 2011–12 एवं $\frac{867}{5}$ वर्ष 2011–12 का आदेश एवं जांच प्रतिवेदन

(5) राज किशोर सिंह के नाम से निर्गत वर्ष 2011–12, 2013–14 एवं 2014–15 की लगान रसीद

(6) राज किशोर यादव के नाम से निर्गत भू–स्वामित्व प्रमाण–पत्र

(7) दानापुर नगर परिषद की रसीद

(8) विद्युत विपत्र की पावती रसीद

(9) बैंक ऑफ इंडिया के साथ किया गया एकरारनामा दिनांक–18.12.2014

(10) दिनांक–05.07.2011 की डीड जो विजय सिंह यादव के द्वारा उपेन्द्र कुमार को लिखी गयी है।

विपक्षी सं0 2 के द्वारा अपने प्रतिउत्तर में पुनरीक्षण आवेदन का समर्थन करते हुए दाखिल खारिज अपील वाद सं0 10/14–15 एवं 11/14–15 में भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के द्वारा दिनांक–18.02.2015 को पारित आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी सं0 1 के द्वारा दाखिल प्रतिउतर में मुख्य रूप से कहा गया है कि

(1) यह पुनरीक्षण वाद चलने योग्य नहीं है तथा रद्द करने योग्य है।

(2) परिवार की संयुक्त सम्पति का अभी तक बंटवारा नहीं हुआ है। पुनरीक्षणकर्ता एवं विपक्षी सं0 2 के द्वारा फर्जी बंटवारानामा तैयार किया गया है, जिसके लिए अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, दानापुर के न्यायालय में कम्पलेन्ट केस नं0 171(C) 2014 दायर किया गया है।

(3) विपक्षी सं0 2 के द्वारा दिनांक 09.01.2012 के तथाकथित बंटवारानामा के विरूद्ध सब जज–1 दानापुर के न्यायालय में स्वत्व वाद सं0 1/15 दायर किया जा चुका है।

(4) पुनरीक्षण आवेदन को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

इस वाद के महत्वपूर्ण तथ्य निम्न प्रकार है।

(1) पुनरीक्षणकर्ता के द्वारा वर्ष 2010 में पंचायती होने की बात कही गयी है परन्तु उनके द्वारा वर्ष 2010 का कोई ऐसा पंचनामा/बंटवारानामा प्रस्तुत नहीं किया गया।

(2) पुनरीक्षणकर्ता के द्वारा दिनांक–09.01.2012 के एक पंचनामा की छाया–प्रति दाखिल की गयी है, विपक्षी सं0 1 विजय सिंह यादव का कहना है कि दिनांक–09.01.12 के उक्त पंचनामा के विरूद्ध उनके द्वारा स्वत्व वाद सं0 1/15 दायर किया गया है।

(3) पुनरीक्षणकर्ता के कथन में विरोधाभास है। वे बंटवारा के आधार पर अपने नाम से दाखिल खारिज होने की बात कहते है। दाखिल खारिज वाद सं0 $\frac{866}{5}$ वर्ष 2011–12 एवं $\frac{867}{5}$ वर्ष 2011–12 में दिनांक–20.09.11/26.09.11 को बंटवारा के आधार पर स्वीकृति दी गयी है, जबकि तथाकथित बंटवारानामा दिनांक–09.01.2012 का है। स्पष्ट है कि दिनांक–20.09.2011/26.09.11 को पारिवारिक सम्पति में कोई बंटवारा नहीं हुआ था, अतः बंटवारा के आधार पर दाखिल खारिज की स्वीकृति दिया जाना विधि सम्मत नहीं था।

(4) इस न्यायालय को पुरनीक्षण वाद में यह देखना है कि निम्न न्यायालय के द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत है अथवा नहीं। इस मामले में भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर के द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद सं0 10/2014–15 एवं 11/14–15 में दिनांक–18.02.15 को पारित आदेश पूर्णतः विधि सम्मत है।

अतः उपर्युक्त वर्णित परिस्थिति में पुनरीक्षण आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है। निम्न न्यायालय का अभिलेख वापस करें।

लेखापित एवं संशोधित।

22/11/18

(वज़ैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता,पटना

22/11/18

(वज़ैन उद्दीन अंसारी)
अपर समाहर्त्ता,पटना